

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 109/प्र0अ0त0स0/जोन-1/भाग/वि0प्र0/2014 15 दिनांक 20/10/2015

### विनियमितीकरण


यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि इस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर शमन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकता अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मितिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती चमा देवी पत्नी श्री प्रदुमन सिंह द्वारा प्लॉट नं0-25 बी, सविल स्टेशन, एम0जी0 मार्ग, सिविल लाइन्स इलाहाबाद जॉन संख्या (1) के अन्तर्गत वाटिल विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उमाश्याम महोदय के अनुमोदन दिनांक 02.07.2015 के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है -


1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपनिधि 2008 ने उपनिधि संख्य -2.1.8 एवं 3.1.0 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिय (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C को शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. प्राधिकरण द्वारा स्थल का पूर्व स्वीकृत मानचित्र परमिट सं0-224/प्र0अ0मपन/जोन-1/2011-12 दिनांक 16.07.2012 एवं 67/प्र0अ0मपन/जोन-1/2013-14 दिनांक 06.08.2015 में अंकित प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
4. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
5. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, अर्थात् सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है अथवा प्लॉट भूमिना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
7. भवन निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आगे भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकर के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर सूचना यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उस अनुरोधों को मरम्मत करकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देना।
8. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखा होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामलों पड़े हों तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
9. यदि निम्न में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर सख्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

अतिरिक्त की  
श्री प्रदुमन सिंह  
29/10/15

20/10/15  
(पुष्कर श्रीवास्तव)  
विशेष कार्याधिकारी  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
इलाहाबाद




STILT FLOOR PLAN




SITE PLAN




STAIR CASE




FIRST FLOOR PLAN




THIRD FLOOR PLAN




SECOND FLOOR PLAN



FRONT ELEVATION



BASEMENT FLOOR PLAN




SECTION AT AB

FLOOR COMPOUND		COVERED AREA DET.					
GENERAL	Q-1-6	SANCTIONED	SANCTIONED	EXISTING	F.S.B. COMP.	6-15-GUNW.	
13.37	7-73	BASEMENT	88.86 M <sup>2</sup>	40.64 M <sup>2</sup>	117.00 M <sup>2</sup>	8.00 M <sup>2</sup>	9.31 M <sup>2</sup>
43.57	7-41	STILT	31.38 M <sup>2</sup>	48.16 M <sup>2</sup>	181.04 M <sup>2</sup>	11.40 M <sup>2</sup>	12.19 M <sup>2</sup>
19.63	7-41	FF	31.38 M <sup>2</sup>	48.16 M <sup>2</sup>	181.04 M <sup>2</sup>	11.40 M <sup>2</sup>	12.19 M <sup>2</sup>
19.43	7-41	SF	31.38 M <sup>2</sup>	48.16 M <sup>2</sup>	181.04 M <sup>2</sup>	11.40 M <sup>2</sup>	12.19 M <sup>2</sup>
19.44	7-47	T.F.	31.38 M <sup>2</sup>	48.16 M <sup>2</sup>	181.04 M <sup>2</sup>	11.40 M <sup>2</sup>	12.19 M <sup>2</sup>


COVERED AREA CALCULATION

$18.51 \times 15.87 = 293.46 \text{ M}^2$   
 $8.81 \times 6.13 = 53.92 \text{ M}^2$   
 $194.20 \text{ M}^2$   
 LIST AREA = 3.88 M<sup>2</sup>  
 OPEN AREA = 3.83 M<sup>2</sup>


- NOTE:-**
- LIME CONC. IN FOUNDATION
  - FLOORING OVER R.C.C. SLAB
  - TOTAL PLOT AREA = 416.82 M<sup>2</sup>
  - ROAD WIDENING AREA = 17.75 M<sup>2</sup>
  - NET PLOT AREA = 399.07 M<sup>2</sup>
  - COVERED AREA ON BASEMENT = 196.30 M<sup>2</sup>
  - COVERED AREA ON STILT F. = 196.30 M<sup>2</sup>
  - COVERED AREA ON S.F. = 222.30 M<sup>2</sup>
  - COVERED AREA ON T.F. = 222.30 M<sup>2</sup>
  - OPEN AREA ON STILT F. = 202.77 M<sup>2</sup>
  - MULTY AREA = 11.63 M<sup>2</sup>
  - ACHIEVED F.A.R. = 0.150 APPROX
  - CAR PARKING = 08.00 NOS
  - GUEST ROOM AREA (NOS.-15) = 300.00 M<sup>2</sup>
  - REAR YARD AREA =
  - EXIST. EQUIPMENT AREA =
- COMPOUNDING WORK SHOWN THUS  
 EXISTING WORK SHOWN THUS  
 NEW WORK SHOWN THUS



TERRACE PLAN



KEY PLAN N.T.S.



23 M FOUNDATION DETAIL

Handwritten notes in Hindi and English, including '23 M FOUNDATION DETAIL' and '23 M FOUNDATION DETAIL'.

As certified that Building plan has been prepared according to Master Plan 2021 Zonal Plan and Master Plan 2012

**COMPOUND AND SANITATION COMMERCIAL BUILDING PLAN OF GUEST HOUSE ON PART OF NAZUL FREE HOLD SITE NO. 25-B, CIVIL STATION MG. MARG. ALLAHABAD.**

OWNER:-  
 SMT UMA DEVI  
 W/O SRI PRADUMAN SINGH

SCALE 1:100

DATE: 12/12/2020

DR. P. K. MISHRA  
 CIVIL ENGINEER  
 REG. NO. 123456789  
 1770, New Market, Lucknow  
 (U.P.)